यह निरीक्षण आख्या कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 व0, रुड़की (हरिद्वार) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लये महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 व0, रुड़की (हरिद्वार) के माह 07/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा (स0ले0प0अ0), श्री राजेश कुमार सन्हा (स0ले0प0अ0), एवं श्री सत्यबीर संह (लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 07/09/2017 से 23/09/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस खण्ड की वगत लेखापरीक्षा सर्व श्री राजेश कुमार सन्हा, स0ले0प0अ0, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव स0ले0प0अ0, एवं श्री शवम त्यागी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25/07/2016 से 05/08/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, सम्प्रेक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में दिनांक 25/07/2016 से 05/08/2016 तक के लेखाअ भलेखों की जांच की गयी थी जिसमें खण्ड के माह 06/2015 से 06/2016 तक के लेखाअ भलेखों की जांच की गयी थी।

(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की के अंतर्गत होने वाले सड़क एवं सेतु निर्माण कार्य।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वत्तीय वर्ष	मुख्य लेखाशीर्ष	आंवटन (रु. लाख में)		व्यय (रु. लाख में)	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
2014-15	5054	10564.74	-	10533.72	-
	3054	75.30	-	75.30	-
	3054	-	1353.70	-	1353.33
2015-16	5054	8574.01	-	8573.24	-
	4059	13.55	-	13.55	-
	3054	111.00	-	110.99	-
	3054	-	595.93	-	595.92
2016-17	5054	6471.26	-	6461.44	-

वत्तीय वर्ष	मुख्य लेखाशीर्ष	आंवटन (रु. लाख में)		व्यय (रु. लाख में)	
		आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
	3054	75.00	**282.61**	75.00	**277.41**
2017-18	5054	2591.13	-	1777.88	-
(अगस्त 2017	3054	-	360.98	-	303.20
तक)	2216	-	5.00	-	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्डलोक निर्माण वभाग ,

मुख्य अ भयन्तालो . व.नि.

अधीक्षण अ भयन्ता. व.नि.लो ,

अ धशासी अ भयन्ता. व.नि.लो ,

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता ,निर्माण खण्डरूड़की ,लोक निर्माण वभाग , (हरिद्वार) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथकपृथक - जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअ धशासी अ भयन्ता ,निर्माण खण्डलोक , रूड़की ,निर्माण वभाग (हरिद्वार) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

माह 08/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। बी टी गंज में सेतु निर्माण कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद -के अधीन बनाये गये नियंत्रक 149 डी पी सी) 1971 ,अ धनियम (शक्तियां तथा सेवा की शर्ते ,कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के **13** की धारा (1971 ,एक्ट लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम 2007 ,तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता ने खण्ड का गत सम्प्रेक्षण से अब तक की अव ध में दिनांक 30/11/16 से 04/12/16 का निरीक्षण कया गया था।
3. खण्ड के भण्डार तथा यंत्र संयत्र लेखों की अर्द्धवा र्षक/वा र्षक बन्दी क्रमशः माह 09/2016 एवं 03/2017 तक हुई।

4. फार्म 51 माह 07/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम	` 774.00
भाग द् वतीय	` 87,758.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2017 के अन्त में

(क). प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	` 1,34,263.00
(ख). सामग्री क्रय	प्रचलन में नहीं है।
(ग). नकद परिशोधन	प्रचलन में नहीं है।
(घ). निक्षेप	` 3,39,32,413.00

भाग दो 'अ'

प्रस्तर:1- **water Bound Macadam (**डबल्यूबीएम) के स्थान पर अ धक मूल्य वाली **Water Mix Macadam** (डबल्यूएमएम) के प्रयोग के कारण परिहार्य व्यय **(avoidable expenditure)** :- `**59.72** लाख

नाबार्ड (राज्य योजना) के अंतर्गत वत्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद हरिद्वार के वधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में भगवानपुरभलस्वागाज मोटर मार्ग-चू ड़याला- (12.50 कमी लंबाई) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु का पुनः निर्माण हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 7076/III(2)/13-41/प्रा.आ./2013 दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के द्वारा `**13.15** करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लए उतनी ही रा श की प्रा व धकी स्वीकृति 28 फ़रवरी 2014 को मुख्य अ भयंता स्तर-1 (देहरादून क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, देहरादून के द्वारा प्रदान की गयी थी। अन्तिम देयक (वाउचर संख्या 141 दिनांक 27.08.2016) के अनुसार कार्य पर `**12.78** करोड़ की रा श व्यय की जा चुकी थी।

कार्य के प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में मार्ग एकल लेन में 8.700 कलोमीटर लम्बाई में 3.75 मीटर चौड़ाई एवं शेष लम्बाई में 3.00 मीटर चौड़ाई में नि र्मत है। ग्राम भलस्वागाज से झबरेड़ा तक मार्ग पूर्व में ही डेढ़ लेन में नि र्मत थी। प्रतिवेदनानुसार, मार्ग के कलोमीटर 9.00 में **Rail Over Bridge (ROB**) प्रस्ता वत है जिसके बन जाने के बाद व भन्न पर्वो एवं स्नानों के समय राष्ट्रीय मार्ग यातायात बढ़ जाने पर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग बहुत अ धक होगा। यह मार्ग उत्तरप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो को उत्तराखंड से जोड़ते हुए भगवानपुर औधो गक क्षेत्र तक पहुचता है। अत: भ वष्य में यातायात घनत्व बढ़ जाने की बहुत संभावना है। प्रतिवेदन के अनुसार, मार्ग के **crust** की डज़ाइन **IIT,Roorkee** के द्वारा तैयार कया गया था। मार्ग पर अन्य कार्य यथा ट्रेंच खुदाई, तटबंध की चौड़ाई बढ़ाने, पटरी में मट्टी भरान, जीएसबी का कार्य, 225 **mm (22.5 cm)** की मोटाई में जी-2 (दो लेयर) एवं जी-3 (एक लेयर) के साथ **DBM/SDBC** के कार्य करने का प्रावधान था। आबादी वाले भागो में **CC** कार्य कराये जाने थे।

IIT के रिपोर्ट के अनुसार 225 **mm** की मोटाई में जी-2 (दो लेयर) एवं जी-3 (एक लेयर) यथा कुल तीन लेयर (प्रत्येक लेयर की मोटाई 75**mm** में **WBM** या **WMM** के कार्य) कराये जाने थे। प्राक्कलन के अनुसार, पुनः कार्य के प्राक्कलन में भी 10900 मीटर (10.900 कलोमीटर) में जी-2 (दो लेयर) एवं जी-3 (एक लेयर) क्रमश: 11520मी^{3} तथा 5850मी^{3} यथा तीनों लेयर में सम्मि लत रूप से 17370मी^{3} में **WBM** से कार्य करायी जानी थी। परन्तु, अन्तिम देयक (वाउचर संख्या 141 दिनांक 27.08.2016) से यह ज्ञात होता है क मार्ग के जी-2 एवं जी-3 यथा तीनों लेयर के कार्य 17304मी^{3} में **WBM** से न कराकर **WMM** से कराया गया था जिसके लए **Extra Item Slip** के द्वारा इस आशय से स्वीकृति प्रदान (10 अक्तुबर 2014) की गयी थी क यदि **WBM** से कार्य कराये जाते हैं तो न सर्फ यातायात में अत्य धक असु वधा होगी बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी प्रभा वत होगी अत: **WBM** के स्थान पर **WMM** से कार्य कराया जाना उ चत होगा। प्राक्कलन में उल्ले खत **WBM** के स्थान पर **WMM** से कार्य कराये जाने के कारण `**59.72** लाख की व्याया धक्य हुई थी जिसका ववरण निम्नवत है।

***WBM** के स्थान पर **WMM** प्रयोग करने के कारण व्याया धक्य*	
WMM की मात्रा	17304**M^3**
प्रति **M^3** दर	`2141.70
Rebate	34.3450%
निवल प्रभावी दर	`2141.70 का 65.655% = `1406.13
17304**M^3 WMM** की रा श	17304**M^3 x** `1406.13 = **`2,43,31,673.00**
17304**M^3 WBM** की रा श	17304**M^3 x** `1061.00 = `1,83,59,544.00
अंतर (व्याया धक्य)	`59,**72,129.00**

इसके साथ ही, आईआईटी-रुड़की ने अपनी प्रतिवेदन में **WBM/WMM** का प्रयोग कया जाना अनुसं शत कया था और कार्य के प्राक्कलन में यथानुसार **WBM** को प्रावधानित कया गया था जिसके प्रयोग कए जाने से मतव्ययतिता भी अपनायी जा सकती थी और कार्य के मजबूती में भी कोई फर्क नहीं आता जैसा क खंड द्वारा स्वयं ही स्वीकार कया गया है।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क मार्ग पर यातायात के दबाब एवं कार्य के प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए **WBM** के स्थान पर **WMM** से कार्य कराया गया था और तदनानुसार स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। उत्तर में यह भी बतलाया गया था क

पत्थर की तुड़ाई एवं बिछाने से भी यातायात एवं आवागमन में परेशानी होगी और जनता द्वारा **WBM** बिछाने से पूर्व ही वरोध कया गया था।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क खंड द्वारा यातायात में असु वधा और जनता का वरोध को कारण बताया जाना भी गैर-ता र्कक है। पुनः खंड द्वारा **WBM** के स्थान पर **WMM** प्रयोग कए जाने के तकनीकी कारणो के साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराये गए थे जो यह सद्ध कर सके क **WBM** के स्थान पर **WMM** का प्रयोग गुणवत्ता एवं मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक था। अत: बिना गुणवत्ता को प्रभा वत कए मतव्ययतिता पूर्वक कार्य निष्पादन ना कए जाने से `**59.72** लाख की व्याया धक्य हुई थी।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- पूर्व की डबल्यूबीएम सतह उपलब्ध होने के बावजूद G-2 एवं G-3 का कार्य कराये जाने के कारण व्यया धक्य - `**55.04** लाख

नाबार्ड (राज्य योजना) के अंतर्गत वत्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद हरिद्वार के वधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के ग्राम सकरोढा से बहबलपुर मोड़ से मानकमाजरा से हल्लुमाजरा से धीरमाजरा होते हुए ग्राम दरियापुर तक (**9.36** कमी लंबाई) बीएम/एसडीबीसी से निर्माण कार्य हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या **986/ III(2) /42** (प्रा.आ.) **/ 2013** दिनांक **13** फ़रवरी 2014 के द्वारा `**542.17** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लए **9.36** कमी लंबाई के सापेक्ष 10 कमी में निर्माण के लए ` **511.86** लाख की प्रा व धकी स्वीकृति 11 जुलाई 2014 को मुख्य अ भयंता स्तर-1 (देहरादून क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, देहरादून के द्वारा प्रदान की गयी थी। अन्तिम देयक (वाउचर संख्या 40 दिनांक 18.03.2017) के अनुसार कार्य पर `**460.37**लाख की रा श व्यय की जा चुकी थी।

प्रतिवेदन के अनुसार, मार्ग पर मट्टी, जीएसबी, 225 **mm (22.5 cm)** की मोटाई में जी-2 (दो लेयर) एवं जी-3 (एक लेयर) में **WBM** के कार्य के साथ बीएम/एसडीबीसी के कार्य करने का प्रावधान था। मार्ग के **crust** की डज़ाइन **CBR-5%** एवं **MSA-5** के आधार पर वभागीय स्तर पर तैयार कया गया था जिसके अनुसार पूरे **pavement** की **thickness 580**एमएम थी। मार्ग के निर्माण के लए तैयार की गयी **Details of Measurement** में मार्ग के सम्पूर्ण चौड़ाई (पूर्ववर्ती चौड़ाई एवं चौड़ीकृत चौड़ाई) में जी-2 (75 **mm** की दो सतह) एवं जी-3(75 **mm** की एक सतह) के कार्य कए जाने का प्रावधान कया गया था और तदनानुसार जी-2 एवं जी-3 की सतह को **WBM** से निर्माण कए जाने के लए प्राक्कलन में प्रावधान कया गया था जब क मार्ग के ***Typical X-Section of road*** के अनुसार पूर्ववर्ती मार्ग की सम्पूर्ण चौड़ाई (3.00 मीटर) **G-2** एवं **G-3** की सतह उपलब्ध थी और इस प्रकार, वस्तुत: मार्ग के चौडीकरण भाग में ही सर्फ जी-2 एवं जी-3 की सतह को **WBM** से निर्माण कए जाने के लए प्राक्कलन में प्रावधान कया जाना चाहिए था और **G-2** एवं **G-3** सतह को **WBM** से निर्माण कए जाने चाहिए थे।

WBM के व भन्न सतह	सतह की संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	मोटाई	मात्रा (मीटर^3)
जी-2	2	7487.00	0.75	0.075	842.2875
जी-3	1	7487.00	0.75	0.075	421.1438

आगे यह देखा गया क अनुबंध भी प्राक्कलन के अनुसार गठित की गयी थी और तदनानुसार कार्य भी कराये गए थे। इस प्रकार, मार्ग के सम्पूर्ण चौड़ाई में जी-2 एवं जी-3 की सतह पर **WBM** से कार्य कराया गया गया था। उल्लेखनीय है क पूर्ववर्ती मार्ग के 3.00 मीटर चौड़ाई में **WBM** की सतह उपलब्ध थी। उपरोक्त तथ्यो को नीचे सारणीबद्ध कया गया है।

जी-**2**	**A.1**	वास्त वक मात्रा (**M^3**)	4318.41
	A.2	लेखापरीक्षानुसार मात्रा(सारणी) (**M^3**)	842.29
	A.3	मात्रा(**M^3**) में अंतर (**A.1-A.2**) एवं रा श **@ `1400.00 =`49.30** लाख	**3476.12**
			`48,66,568.00
जी-3	**B.1**	वास्त वक मात्रा (**M^3**)	**2177.51**
	B.2	लेखापरीक्षानुसार मात्रा(सारणी-1) (**M^3**)	421.14
	B.3	मात्रा (**M^3**) में अंतर (**B.1-B.2**) एवं रा श **@ `1500.00 =`26.69** लाख	**1756.37**
			`26,34,555.00
जी-2 एवं जी-3 की कुल अंतर रा श (**Actual-Audit figure**)			**`75.01**लाख

इस प्रकार, **existing WBM** के लेयर को **consider** नहीं कए जाने के कारण जी-2 एवं जी-3 के परिपेक्ष्य में **Inflated** प्राक्कलन बनाया गया था जिसके कारण `**75.01** लाख की व्यया धक्य हुई थी जिसे बचाया जा सकता था। पुनः: यह भी वदित है क मार्ग के पूर्व **painted** सतह की **scarifying** का कार्य 5689.25 मीटर की लंबाई में कराया गया था जो यह सद्ध करता है क मार्ग के 5689.25 मीटर की लंबाई में पूर्व की **WBM** सतह निश्चित रूप से उपलब्ध थी तथा मार्ग के इस लंबाई में केवल चौड़ीकृत भाग में ही जी-2 एवं जी-3 का कार्य कया जाना चाहिए था और ऐसा कए जाने से `**55.04** लाख की बचत की जा सकती थी जिसे नीचे सारणीबद्ध कया गया है।

WBM के सतह	सतह की संख्या	लम्बाई (मी में)	चौड़ाई (मी में)	मोटाई (मी में)	मात्रा ($मी^3$)	दर/$मी^3$	व्यय की जाने योग्य रा श
जी-2	**2**	**5689.25**	**3.75**	**0.075**	**3200.20**	**1400**	**4480284.38**
	2	**5689.25**	**0.75**	**0.075**	**640.04**	**1400**	**896056.88**
	मात्रा एवं रा श में अंतर		**3.00**		**2560.16**	**1400**	**3584227.50**
जी-3	**1**	**5689.25**	**3.75**	**0.075**	**1600.10**	**1500**	**2400152.34**
	1	**5689.25**	**0.75**	**0.075**	**320.02**	**1500**	**480030.47**
	मात्रा एवं रा श में अंतर		**3.00**		**1280.08**	1500	**1920121.88**
	जी-2 एवं जी-3 में हुए अंतर रा श का कुल योग						5504349.38

इस प्रकार, खंड द्वारा **design** तैयार करते समय और प्राक्कलन स्तर से ही पूर्ववर्ती मार्ग पर उपलब्ध जी-2 एवं जी-3 सतह को मार्ग निर्माण के समय **consider** नहीं कए जाने के कारण `**55.04** लाख का व्यया धक्य हुआ जिसे बचाया जा सकता था।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क मार्ग के **crust** के आवश्यक **thickness 580 mm** को प्राप्त करने के लए मार्ग के सम्पूर्ण चौड़ाई में जी-2 एवं जी-3 का कार्य कराया गया था।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपलब्ध जी-2 एवं जी-3 सतह के उपयो गता को अस्वीकार नहीं कया जा सकता है। पुनः डज़ाइन एवं प्राक्कलन स्तर से ही जी-2 एवं जी-3 के 225 **mm** की उपलब्ध को उपयोग में नहीं लाने के कारण को भी स्पष्ट नहीं कया गया है जब क 5689.25 मीटर में **painted** सतह की **scarifying** भी यह इं गत करती है क इसके नीचे की जी-2 एवं जी-3 सतह उपलब्ध थी।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2- सेतु के लए आवश्यक सेतु सुरक्षा कार्य न कराया जाना : ₹ 4.41 करोड़

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 6756/111(2)/13-38 (प्रा०आ०)/**2012** दिनांक 31 दिसम्बर 2013 के द्वारा जनपद हरिद्वार के वधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में भगवानपुर - सखरोड मार्ग पर ग्राम शाहपुर के समीप सोलानी नदी पर 0.50 + 540 मीटर स्पान की **RCC pre-stressed** सेतु (`2636.35 लाख), सेतु का सुरक्षात्मक कार्य (`440.96लाख) एवं पंहुच मार्ग (`373.81 लाख) के निर्माण हेतु `3587.31 लाख **(including Contingency and quality** कंट्रोल) की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के लए `3587.31 लाख की प्र व धकी स्वीकृति 1 मार्च 2014 को मुख्य अ भयंता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, देहारादून द्वारा प्रदान की गयी थी। इस कार्य हेतु प्र व धकी स्वीकृति मई 2013 के **Schedule of Rate (SOR)** पर तैयार की गयी आगणन पर, प्रदान की गयी थी परंतु तीसरी बार नि वदा आमंत्रित करने के पूर्व (*दो बार एकल नि वदा प्राप्त होने के कारण तीसरी बार नि वदा आमंत्रित की गयी थी और कार्य सम्पादन हेतु अनुबन्ध गठित की गयी थी*) आगणन में उल्ले खत कार्यो की दर को मई 2014 के **SOR** पर 22.5 प्रतिशत **Overhead Expense** को सम्मि लत करते हुए एक **justified** आगणन तैयार की गयी थी और उसी के आधार पर तीसरी बार नि वदा आमंत्रित की गयी और **M/s Ashok Kumar** के साथ अधीक्षण अ भयंता के द्वारा **`34.07 crore** की अनुबन्ध **(Revised scheduled-B),** जो **justified** आगणन से 1.70 प्रतिशत कम पर प्राप्त हुई थी, का गठन **(1** जनवरी 2015) कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की ति थ क्रमश: **1** जनवरी 2015 एवं 30 जून 2016 थी। वर्तमान में **31st Running Bill (voucher No.64 dated 21st August 2017)** तक **`26.91** करोड़ की रा श का भुगतान कया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है।

इस कार्य में सेतु का सुरक्षात्मक कार्य एक मुख्य कार्य था और इसके लए आगणन में निम्न ल खत प्रावधान कए गए थे।

1. नदी के बाएँ तट पर गाइडबंध का निर्माण कार्य।
2. गाइडबंध में कार्य में **CC** ब्लॉक द्वारा **Apron** कार्य।
3. **Wirecrate** द्वारा बौल्डर **Apron** का कार्य ।
4. गाइडबंध के ढलान पर फ़ल्टर मी डया का कार्य।
5. **RR Stone Masonary 1:6** द्वारा **Tow-wall** एवं **Panel** का निर्माण कार्य

इसके साथ ही, अगस्त 2013 के भू-वैज्ञानिक की निरीक्षण टिप्पणी आख्या के अनुसार, सोलानी नदी उथली प्रकृति की है तथा इसके कनारे फ़र्म (निश्चित) नहीं है। स्थल के **upstream** एवं **downstream** में नदी में **meandering** है और परिणामस्वरूप वर्षाकाल में नदी का बहाव **undefined way** में होता है। इस स्थिति में रुख बदलने के कारण कसी भी कनारे पर कटाव की सम्भावना रहती है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सेतु के सुरक्षा हेतु निम्न ल खत सुझाव दिये गए थे।

1. सेतु स्थल के समीप दोनों कनारों पर **upstream** एवं **downstream** में वांछित दूरी में समु चत परिकल्पना के सुरक्षात्मक स्ट्रक्चर (गाइड बाँध आदि) का प्रावधान कया जाए जिससे बाढ़ के समय सेतु स्थल के समीप कसी भी कनारे अथवा पंहुच मार्ग कटाव ना हो।
2. उक्त के अतिरिक्त दोनों कनारों पर जहां आवश्यक हो **guidewall** तथा **Deflecting Spurs** का भी निर्माण कराया जा सकता है जिससे नदी द्वारा कटाव ना हो तथा नदी सेतु के निर्धारित स्पान के अंतर्गत ही रहे।
3. यह भी सुनिश्चित कया जाए क प्रस्ता वत सेतु तथा कनारो की सुरक्षा हेतु जिन स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जा वह समु चत गहराई में आधारित हो तथा उनके नीचे **Undermining/scouring** न हो।

पुनः मुख्य अ भयन्ता के द्वारा प्रा व धक स्वीकृति प्रदान करते समय यह उल्ले खत कया गया था क सेतु स्थल पर सुरक्षात्मक कार्यो का सम्पादन स्थलीय आवश्यकतानुसार कराया जाए।

अ भलेखों की जांच में पाया गया क पुरी क्षत आगणन बनाते समय उपरोक्त सुरक्षात्मक कार्य (` **4.41 crore**) के मद को हटा दिया गया था, जब क भू-ग र्भय आख्या के अनुसार सेतु के सुरक्षा हेतु यह एक आवश्यक कार्य था क्यों क नदी का बहाव **undefined way** में होने के कारण कटाव की सम्भावना दोनों ओर थी। पछले लेखा परीक्षा (अगस्त 2016) के दौरान इस बिन्दु को उठाए जाने पर, खंड द्वारा यह बतलाया गया था क सेतु सुरक्षा का कार्य संचाई खण्ड, रुड़की के द्वारा कराया जाएगा। पुनः यह भी स्मरणीय है क सेतु के पंहुच मार्ग को छोड़ कर सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण (सतम्बर 2017) हो चुका है जब क सेतु का सुरक्षात्मक कार्य, जिसकी प्रकक लत लागत (` **4.41 crore**) है, पर अभी भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके साथ ही, वर्तमान स्वीकृति में `**35.87**करोड़ के सापेक्ष `**34.07** करोड़ की अनुबंध गठित कया गया था और अवशेष के रूप में मात्र `**1.80** करोड़ की रा श ही उपलब्ध है जब क सुरक्षात्मक कार्य हेतु ` **4.41** करोड़ की आवश्यकता होगी।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क संचाई वभाग के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के एक वर्ष के बाद बन्द कर दिया गया था। अतः अवशेष लंबाई जिसमे कार्य शेष है को **IIT,** रुड़की से डज़ाइन कराकर वर्तमान कार्य के बचत से पूर्ण कर लया जाएगा।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क यह सुरक्षात्मक कार्य के लए नि ध की आवश्यकता की पूर्ति के स्रोत को स्पष्ट नहीं करता है।

भाग -III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्र. स.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं.	अनिस्तारित कण्डिकाऐं					
		भाग दो 'अ'		भाग दो 'ब'		**STAN**	
		पैरा स.	कुल पैरा	पैरा स.	कुल पैरा	पैरा स.	कुल पैरा
1.	24/2008-09	-	0	01	1	-	0
3.	29/2010-11	1,2,3	03	-	0	-	0
4.	34/2011-12	1,2	02	-	0	-	0
5.	82/2012-13	2	01	1,3	02	-	0
6.	35/2015-16	1	01	1,2,3,4,5,6	06		0
7.	43/2016-17	1	01	1,2	02	-	0
	Total		08		**11**		**2**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण		अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग दो अ	भाग दो ब			
24/2008-09	-	01		प्रस्तरों की आख्या सक्षम अधकारी के माध्यम से प्रेषत की जा रही है।	-
29/2010-11	1	-			
34/2011-12	1,2	-			
82/2012-13	2	1,3			
35/2015-16	1	1,2,3,4,5,6			
43/2016-17	1	01			

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-v

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार) लेखापरीक्षा (उत्तराखण्ड ,देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, रुड़की (हरिद्वार) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

3. सतत् अनिय मतताएः शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
I.	श्री ओ0 पी0 संह	अ धशासी अ भयन्ता	वगत लेखापरीक्षा से 27/07/2017
II.	श्री अशोक कुमार	अ धशासी अ भयन्ता	27/07/2017 से अबतक

5. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

I. श्री राजीव गोयल वगत लेखा परीक्षा से अबतक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार (आ र्थक क्षेत्र-2), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।